

## अध्याय-II : बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

### 2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैट अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख हैं, जिनकी सहायता हेतु 26 अतिरिक्त आयुक्त, 47 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 402 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार हैं। सम्बन्धित कर अधिनियमों एवं नियमों को लागू करवाने में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ सहयोग प्रदान करते हैं।

वैट और प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान वैट अधिनियम, 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम' एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

### 2.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। यह समूह परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच कर अधिनियमों एवं नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाईयों की स्थिति निम्नानुसार है:

| वर्ष    | लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाईयाँ | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाईयाँ | लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाईयाँ | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयाँ | लेखापरीक्षा के शेष रही इकाईयाँ | कमी प्रतिशतता में |
|---------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2011-12 | 93                                | 384  | 477                                  | 411                                | 66                             | 14                |
| 2012-13 | 66                                | 384  | 450                                  | 267                                | 183                            | 41                |
| 2013-14 | 183                               | 414  | 597                                  | 287                                | 310                            | 52                |
| 2014-15 | 310                               | 413  | 723                                  | 471                                | 252                            | 35                |
| 2015-16 | 252                               | 413  | 665                                  | 181                                | 484                            | 73                |

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 14 से 73 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,903 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

| वर्ष                 | 2010-11 तक | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | योग    |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| अनुच्छेदों की संख्या | 10,933     | 1,431   | 1,364   | 1,237   | 1,080   | 1,858   | 17,903 |

वृहद् संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा बताये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु कदम नहीं उठा रहा है।

### 2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 में 71 इकाईयों के वैट/बिक्री कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,570 प्रकरणों में ₹ 214.14 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गयी, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं.    | श्रेणी   | प्रकरणों की संख्या | राशि          |
|------------|--|--------------------|---------------|
| 1          | 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद | 1                  | 13.51         |
| 2          | कर का अवनिर्धारण   | 326                | 142.42        |
| 3          | त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना   | 49                 | 5.65          |
| 4          | क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी  | 106                | 30.36         |
| 5          | इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना   | 424                | 16.60         |
| 6          | अन्य अनियमिततायें:   |                    |               |
|            | (i) राजस्व से सम्बन्धित  | 559                | 5.40          |
|            | (ii) व्यय से सम्बन्धित   | 105                | 0.20          |
| <b>योग</b> |  | <b>1,570</b>       | <b>214.14</b> |

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने 636 प्रकरणों में ₹ 21.97 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 1.20 करोड़ राशि के 31 प्रकरण वर्ष 2015-16 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2015-16 के दौरान 105 प्रकरणों में ₹ 2.72 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की गई जिसमें से ₹ 0.21 करोड़ के 7 प्रकरण वर्ष 2015-16 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इसको स्वीकार करते हुए ₹ 18.24 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक अनुच्छेद जिसमें राशि ₹ 13.51 करोड़ सन्निहित है एवं ₹ 12.70 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों के कुछ उदाहरण आगे के अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

## 2.4 राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण

### 2.4.1 प्रस्तावना

प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (आरईटी अधिनियम) तथा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 (आरईटी नियम) तथा इनके अधीन जारी अधिसूचनाओं से शासित होता है। स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिये अधिसूचित माल के प्रवेश पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों से प्रवेश कर आरोपणीय है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने समय-समय पर धारा 9 के अन्तर्गत अधिसूचनायें जारी की थी तथा ऐसे अधिसूचित माल पर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर से इस शर्त पर छूट प्रदान की थी कि इस माल पर राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय कर का भुगतान कर दिया गया है। आरईटी अधिनियम राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) द्वारा प्रशासित होता है। आरईटी अधिनियम पात्र व्यवहारियों<sup>1</sup> के पंजीकरण, आवधिक विवरणियों की प्रस्तुति तथा व्यवहारियों द्वारा स्वतः निर्धारण का प्रावधान करता है।

‘राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999’ के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण’ पर 2012-13 से 2014-15 (यथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के निर्धारणों हेतु) की अवधि हेतु अधिसूचित माल पर प्रवेश कर के भुगतान के सम्बन्ध में क्रेता व्यवहारियों द्वारा अनुपालना की जांच के लिये एक लेखापरीक्षा की गयी। चयनित अधिसूचित माल<sup>2</sup> के अन्य राज्यों<sup>3</sup> में स्थित छः निर्माताओं/विक्रेताओं से सूचनायें संग्रहित की गयी तथा उनका राजस्थान के क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण अभिलेखों से मिलान किया गया। विभागीय वेबसाइट राजविस्टा<sup>4</sup> पर माल के स्वरीद एवं बिक्री सम्बन्धी उपलब्ध सूचनाओं को भी एकत्र किया गया तथा अधिसूचित माल के क्रेता व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों से आपसी मिलान किया गया। इन परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

### 2.4.2 पंजीकरण तथा विवरणियां

आरईटी अधिनियम की धारा 11 निर्धारित करती है कि एक व्यवहारी जो स्थानीय क्षेत्र में अधिसूचित माल लाता है तो वह स्वयं को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्थान वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर जैसे अन्य अप्रत्यक्ष करों को भी शासित किया जाता है। इन करों के लिये पंजीकृत व्यवहारी घोषणा-प्रपत्र

<sup>1</sup> प्रत्येक व्यवहारी, जिसने किसी एक वर्ष में आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य माल जिसका कुल मूल्य ₹ एक लाख से कम न हो, लाया या प्राप्त किया हो तो वह इस अधिनियम में स्वयं को पंजीकृत कराने का दायी था।

<sup>2</sup> जनरेटर सेट्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, क्रेन, मोटर व्हीकल्स, डार्ज एण्ड केमीकल्स तथा एक्सप्लोजिव।

<sup>3</sup> आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एण्ड कश्मीर, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश।

<sup>4</sup> राजविस्टा : यह विभाग द्वारा कार्यालयी उपयोग हेतु एक वेबसाइट है।

वैट-47<sup>5</sup> तथा सीएसटी प्रपत्र 'सी'<sup>6</sup> के उपयोग द्वारा माल की खरीद की सूचना विभाग को देते हैं। ये सभी सूचनायें विभागीय अभिलेखों तथा वेबसाइट राजविस्टा पर उपलब्ध थी तथा विभाग के समस्त कर निर्धारण प्राधिकारियों को सुलभ थी। तथापि, विभागीय सूचना पद्धति को इस तरह से विकसित नहीं किया गया था कि अन्य राज्यों से की गयी खरीद जिन्हें व्यवहारियों ने प्रपत्र 'सी' तथा वैट-47 में दर्शाया है का मिलान किया जा सके (जैसाकि अनुच्छेद 2.4.4 में विस्तृत चर्चा की गयी है)। इसके अभाव में, कर निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत पात्र व्यवहारियों, जो कि प्रवेश कर की वंचना कर रहे थे, को पहचानने एवं पंजीकरण करने में सक्षम नहीं थे।

विभागीय अभिलेखों तथा वेबसाइट राजविस्टा पर उपलब्ध सूचनाओं के विश्लेषण से पाया गया कि करवंचना करने वाले 231 व्यवहारियों में से 143 व्यवहारी आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों के विक्रेता व्यवहारियों से आयातित अधिसूचित माल से सम्बन्धित एकत्रित सूचनाओं से पता चला कि करवंचना कर रहे 238 व्यवहारियों में से 151 व्यवहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। इस प्रकार, यह पाया गया कि मापक जांच किये गये व्यवहारियों (469 व्यवहारी<sup>7</sup>) के 62 प्रतिशत (294 व्यवहारी) आरईटी अधिनियम में पंजीकृत नहीं पाये गये, जो प्रवेश कर की वंचना कर रहे थे।

सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2016) कि अप्रैल 2014 में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। हालांकि, तथ्य यह थे कि ये सामान्य निर्देश थे तथा सूचनाओं का उपयोग कर आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यवहारियों को पंजीकृत करने के लिये विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किये गये थे (अक्टूबर 2016)।

### विवरणी प्रपत्र में कमी

जून 2015 तक राजस्थान वैट अधिनियम तथा आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पृथक-पृथक विवरणी प्रपत्र थे। इसके पश्चात दोनों विवरणी प्रपत्रों को समाहित कर दिया गया तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत टर्नओवर दर्शाने हेतु संशोधित प्रपत्र वैट-10 तथा वैट-10ए निर्दिष्ट किये गये (जुलाई 2015)। संशोधित विवरणी प्रपत्रों की जांच से ज्ञात हुआ कि आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक को दर्शाने के लिये कोई कॉलम निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या व्यवहारी आरईटी अधिनियम में पंजीकृत थे।

### 2.4.3 प्रवेश कर का कम/अनारोपण

राज्य सरकार द्वारा आरईटी अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 8 मार्च 2006 तथा 9 मार्च 2011 को अधिसूचनायें जारी कर अधिसूचित माल को व्यवहारी द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग या बिक्री के लिये लाये जाने पर अधिसूचना में दर्शायी गयी दरों पर देय कर को निर्दिष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 34ए के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से ब्याज भी देय था।

<sup>5</sup> वैट-47 प्रपत्र : अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान विनिर्दिष्ट माल के आयात के लिये आवश्यक घोषणा-प्रपत्र।

<sup>6</sup> 'सी' प्रपत्र : अन्तर्राज्यीय क्रय के दौरान माल के क्रय पर कर की रियायती दर का लाभ लेने हेतु सीएसटी घोषणा-प्रपत्र।

<sup>7</sup> कुल 469 व्यवहारी: विभाग के पास उपलब्ध सूचनायें: 231 व्यवहारी तथा अन्य राज्यों से सूचनायें एकत्र: 238 व्यवहारी।

#### 2.4.4 विभाग में उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में नहीं लिये जाने से प्रवेश कर का अनारोपण

जो व्यवहारी अधिसूचित माल पर प्रवेश कर चुकाने हेतु दायी थे उनका नाम/टिन राजविस्टा द्वारा इंगित नहीं किया जाता था। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा भी प्रवेश कर चुकाये जाने योग्य व्यवहारियों को चिन्हित करने के लिये इस पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा द्वारा मापक जांच के लिये कुछ करापवंचन योग्य वस्तुओं का चयन किया गया था। इन वस्तुओं से सम्बन्धित सूचनायें राजविस्टा/विभागीय अभिलेखों से एकत्र की गई एवं सम्बन्धित व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों से आपसी मिलान किया गया।

राजविस्टा एवं वैट निर्धारण अभिलेखों पर उपलब्ध स्वरीद/बिक्री विवरणों के विश्लेषण से पाया गया कि 231 व्यवहारियों ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान राशि ₹ 203.05 करोड़ का माल यथा: एयर कन्डीशनर्स, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव, फर्नेन्स ऑयल, पेट कोक, हाई स्पीड डीजल, कम्प्यूटर्स एवं उनकी एसेसरीज, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक सामान, ट्रान्सफार्मर्स, लुब्रीकेन्ट ऑयल, डीजी सैट्स, वे-ब्रिज, हाइड्रोलिक एक्सेवेटर्स, क्रेन (माइनिंग इक्वूपमेंट), पी.पी./एचडीपीई बैग्स एवं फेब्रिक्स, मोटर व्हीकल्स एवं एचडीपीई आयात किया। इस माल की क्रेता व्यवहारियों द्वारा बिक्री नहीं की गयी थी। इस माल पर व्यवहारियों द्वारा न तो वैट एवं न ही प्रवेश कर चुकाया गया। इसलिये, व्यवहारी इस माल पर ₹ 5.91 करोड़ का प्रवेश कर चुकाने हेतु उत्तरदायी थे। किन्तु, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के प्रवेश कर पंजीकरण एवं निर्धारण के लिये इन सूचनाओं का उपयोग नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 1.96 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 7.87 करोड़ का अनारोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि 11 प्रकरणों में ₹ 25 लाख की मांग कायम कर दी गयी थी। शेष प्रकरणों के उत्तर या तो प्राप्त नहीं हुये या आवश्यक दस्तावेजों से समर्थित नहीं थे (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.5 अन्य राज्यों के साथ सूचनाएं साझा करने के तंत्र का अभाव

विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं की जांच करने पर पाया गया कि राजस्व रिसाव को रोकने के लिए विभाग ने अन्य राज्यों के वाणिज्यिक कर विभाग से सूचनायें एकत्र करने के कोई प्रयास नहीं किये। राजस्व रिसाव की जांच करने के लिये लेखापरीक्षा ने अन्य राज्यों के डीजल जनरेटिंग सेट्स, हाइड्रोलिक एक्सेवेटर, क्रेन (माइनिंग इक्वूपमेंट) तथा मोटर व्हीकल्स आदि के छः विक्रेता व्यवहारियों<sup>8</sup> से अवधि 2010-11 से 2012-13 की बिक्री का विवरण एकत्रित किया तथा राजस्थान राज्य के क्रेता व्यवहारियों की विवरणियों तथा कर निर्धारण अभिलेखों से उनका आपसी मिलान किया।

अन्य राज्यों से एकत्रित क्रय विवरणों का विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के साथ आपसी सत्यापन करने पर पाया गया कि 238 व्यवहारियों ने राशि ₹ 87.95 करोड़ का अधिसूचित माल प्रवेश

<sup>8</sup> मैसर्स सुधीर जेनसेट, जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर), मैसर्स वोल्वो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु (कर्नाटक), मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), मैसर्स इण्डस्ट्रीयल ट्रेड लिंक, अहमदाबाद (गुजरात), मैसर्स सोलर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) तथा मैसर्स क्रेनेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

कर चुकाये बिना क्रय किया। क्रेताओं द्वारा इस माल की बिक्री नहीं की गई थी। व्यवहारियों ने इस माल पर न तो वैट एवं ना ही प्रवेश कर चुकाया। इसलिए ये व्यवहारी, इस माल पर राशि ₹ 3.42 करोड़ का प्रवेश कर चुकाने के लिये उत्तरदायी थे। चूंकि विभाग के पास ये सूचनायें उपलब्ध नहीं थी, कर निर्धारण प्राधिकारी इन व्यवहारियों द्वारा की गई कर अपवंचना का पता नहीं लगा सके।

इसके परिणामस्वरूप, ब्याज ₹ 1.36 करोड़ सहित कर ₹ 4.78 करोड़ का अनारोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि 35 प्रकरणों में ₹ 88 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी, जिसमें से ₹ 13 लाख की वसूली हो चुकी थी। शेष प्रकरणों के प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.6 आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत कर में छूट

आरईटी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके व्यवहारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से आंशिक अथवा पूर्ण छूट दे सकती है। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने व्यवहारियों को छूट प्रदान करने हेतु कई अधिसूचनाएं जारी की थी। कुछ अधिसूचनाओं की जांच में पाया गया कि छूट प्रदान करते समय, राज्य सरकार ने अधिसूचनाओं में वर्णित नियम व शर्तों पर निगरानी रखने के लिए कोई भी विवरणी या प्रारूप निर्धारित नहीं किया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अधिसूचनाओं में निर्धारित नियम व शर्तों की व्यवहारियों द्वारा की जा रही पालना को सुनिश्चित करने पर निगरानी नहीं रखी। ऐसे कुछ प्रकरणों का वर्णन नीचे किया गया है:

##### 2.4.6.1 कर में अनियमित छूट देना

राजविस्टा पर उपलब्ध अधिसूचनाओं में पाया गया कि सरकार द्वारा 14 इकाईयों को एक निश्चित की गई सीमा तक प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। इनमें से तीन इकाईयों की मापक जांच की गयी।

वृत्त विशेष-II कोटा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि राज्य सरकार ने दिनांक 8 अप्रैल 2011 को अधिसूचना जारी करके एक व्यवहारी (मैसर्स अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, कोटा, आरईटी/2001/ एन-01064) को एक पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु केपिटल गुड्स, प्लांट एवं मशीनरी एवं उसके पुर्जों की स्वरीद पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की। व्यवहारी द्वारा उपयोग में लिये गये 'सी' प्रपत्रों की सूचना जो राजविस्टा पर उपलब्ध थी, के विश्लेषण में पाया गया कि व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 की अवधि में राशि ₹ 20.88 करोड़ का हाई स्पीड डीजल एवं फर्नेन्स ऑयल का आयात किया। इस माल को उक्त अधिसूचना में कर से छूट नहीं दी गयी थी। फिर भी व्यवहारी ने इस स्वरीद पर न तो प्रवेश कर का भुगतान किया ना ही इस स्वरीद को विवरणियों में दर्शाया।

कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस व्यवहारी के प्रवेश कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2015) इस माल पर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया एवं त्रुटिपूर्ण रूप से इस माल को उक्त अधिसूचना में शामिल मान लिया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 19 लाख सहित प्रवेश कर ₹ 82 लाख का अनारोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि ब्याज ₹ 23 लाख सहित ₹ 75 लाख की मांग कायम कर दी गयी है (जुलाई 2016)। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

#### 2.4.6.2 व्यवहारियों को दी गयी छूट पर निगरानी नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2009 द्वारा मैसर्स राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड, भादरेश (बाड़मेर) को भादरेश (बाड़मेर) में पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु अधिसूचित माल के प्रवेश पर देय कर के भुगतान से छूट प्रदान की। यह छूट माल की एक विशिष्ट मात्रा एवं राशि के लिए ही दी गयी थी। बाद में अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2012 द्वारा इस निर्दिष्ट सीमा में वृद्धि की गयी।

इसी प्रकार, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2012 द्वारा मैसर्स रीगन पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर को उदयपुर के समीप पवन विद्युत जनरेटर्स तथा टावर के निर्माण के लिए प्लांट एवं मशीनरी के रूप में उपयोग हेतु लाये गये अधिसूचित माल पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। यह छूट भी माल की एक विशिष्ट मात्रा एवं राशि के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु दी गई थी।

वृत्त विशेष-II उदयपुर एवं बाड़मेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी एवं मई 2016) कि व्यवहारियों द्वारा उपभोग की गयी छूट की मात्रा पर निगरानी रखने के लिये न तो मैनुअली कोई अभिलेख संधारित किये गये और ना ही कोई आईटी पद्धति काम में ली गई। मैसर्स रीगन पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी को आयातित माल एवं उपयोग में ली गयी छूट का विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचना पत्र जारी किया। फिर भी, मांगी गयी सूचनायें व्यवहारी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिये वांछित अभिलेखों के अभाव में उपयोग में ली गयी छूट की सत्यता/शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि मैसर्स रीगन पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूंजीगत की गयी सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है तथा मैसर्स राजवेस्ट पावर लिमिटेड ने डीजी सेट्स की खरीद का विवरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के बताये जाने के पश्चात ही व्यवहारियों ने विवरण प्रस्तुत किये थे। व्यवहारियों द्वारा उपयोग में ली गयी छूट की मात्रा पर निगरानी रखने हेतु विभाग को एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

#### 2.4.7 लेखापरीक्षा के बताये जाने पर मांग की वसूली किया जाना

तीन वाणिज्यिक कर कार्यालयों<sup>9</sup> के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान ध्यान में आया कि पांच व्यवहारियों ने राशि ₹ 4 लाख के प्रवेश कर की वंचना की। ध्यान में लाये जाने पर (अगस्त 2016), सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि राशि ₹ 4 लाख के कर एवं ब्याज की वसूली की जा चुकी है।

<sup>9</sup> वा.क.अ.: अलवर विशेष, दौसा तथा मकराना।

#### 2.4.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

प्रवेश कर का किसी भी प्रकार का रिसाव सरकार के राजस्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि विभाग के पास आवश्यक सूचनायें उपलब्ध थी किन्तु ऐसे पात्र व्यवहारियों को प्रवेश कर के दायरे में लाने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी। व्यवहारियों को कर से छूट देते समय अधिसूचनाओं में वर्णित नियम व शर्तों पर निगरानी रखने के लिये कोई भी विवरणी या प्रारूप निर्धारित नहीं किये गये। आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक को दर्शाने के लिये संशोधित विवरणी प्रपत्र में कोई कॉलम निर्दिष्ट नहीं किया गया। विवरणी में पंजीयन क्रमांक के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यवहारी आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत थे।

*सरकार को चाहिए कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करते हुए पात्र व्यवहारियों को आरईटी अधिनियम के अन्तर्गत लाने हेतु एक प्रणाली विकसित करें। इसके अलावा राजस्व रिसाव को रोकने के लिये सरकार को चाहिए कि विशिष्ट अथवा करवंचन योग्य वस्तुओं के स्वरीद/बिक्री से सम्बन्धित सूचनाओं का अन्य राज्यों के साथ आदान-प्रदान करने अथवा साझा करने हेतु एक प्रणाली विकसित करें। व्यवहारी द्वारा ली गयी छूट की मात्रा को दर्शाने हेतु विवरणियों में एक विशिष्ट प्रारूप को निर्दिष्ट किया जाये। साथ ही, विवरणी के प्रारूप में आरईटी के पंजीयन क्रमांक को अंकित करने हेतु एक नया कॉलम बनाया जा सकता है।*

#### 2.5 कर में अनियमित आंशिक छूट

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार माल की बिक्री पर अधिनियम की अनुसूचियों में दी गयी दर से कर देय है। इसके अलावा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 8(3) एवं धारा 8(5) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के वर्ग को जो अनुसूची-II में दर्शाये गये हैं बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्त सहित जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, कर में छूट प्रदान कर सकती है। इस धारा के तहत प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के उपरांत यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, 30 दिन से अन्यून समयावधि के लिए रखी जायेगी जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाहित हो सकेगी।

राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-VI के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान हाई स्पीड डीजल पर कर की दर 18 प्रतिशत थी। तथापि, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2008 में दी गयी शर्तों के अधीन भारतीय रेलवे उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, जयपुर (एनडब्ल्यूआर) को हाई स्पीड डीजल पर 10 प्रतिशत से अधिक कर दर की छूट दी। इन शर्तों में से एक शर्त यह थी कि यह छूट तभी उपलब्ध होगी जब ऊपर वर्णित क्षेत्र अपने हाई स्पीड डीजल की आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से केवल राजस्थान राज्य से ही करेगा। इसी क्रम में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया (10 दिसम्बर 2008) कि एनडब्ल्यूआर अपनी आवश्यकता की सम्पूर्ण पूर्ति राजस्थान से करेगा जो कि किसी भी दशा में एनडब्ल्यूआर द्वारा की गई हाई स्पीड डीजल की कुल स्वरीद के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

विभाग से एकत्र की गयी सूचना (जनवरी 2016) के अनुसार तीन व्यवहारियों<sup>10</sup> ने वर्ष 2012-13 में कर दर 10 प्रतिशत पर एनडब्ल्यूआर को राशि ₹ 1,045.60 करोड़ की हाई स्पीड डीजल की बिक्री की। एनडब्ल्यूआर द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि एनडब्ल्यूआर ने वर्ष के दौरान अन्य राज्यों से 7.22 से 9.23 प्रतिशत हाई स्पीड डीजल की खरीद की। कर निर्धारण प्राधिकारी ने एनडब्ल्यूआर को राशि ₹ 83.65 करोड़ की आंशिक छूट दी।

यह देखा गया कि हाई स्पीड डीजल पर कर की दर को शासित करने वाली शर्त को, वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करना आवश्यक था। इसलिये एनडब्ल्यूआर को दी गयी आंशिक कर छूट ₹ 83.65 करोड़ अधिसूचना में शामिल नहीं होती।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि अधिसूचना के क्रम में ही स्पष्टीकरण (10 दिसम्बर 2008) जारी किया गया था। इसके अलावा यह सूचित किया गया कि अधिसूचना के प्रारूप का वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद लिये गये निर्णय से अवगत करा दिया जायेगा (अक्टूबर 2016)।

## 2.6 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

**2.6.1** राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI के अनुसार सभी प्रकार के मोटर वाहनों एवं इसके पार्ट्स व एसेसरीज के विक्रय पर 15 प्रतिशत की दर से कर देय था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कर के भुगतान में विलम्ब पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त एच, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जून 2015) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 में कर योग्य माल लीफ स्प्रिंग ₹ 4.55 करोड़ की बिक्री पांच प्रतिशत कर दर से की। लीफ स्प्रिंग मोटर वाहन का पार्ट है, जिस पर 15 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय 15 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 45.47 लाख एवं ब्याज ₹ 19.09 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2015) तथा सरकार को सूचित किया (जुलाई 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि ₹ 65.47 लाख (कर ₹ 45.47 लाख, ब्याज ₹ 20 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 2.27 लाख वसूल कर लिये गये। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

<sup>10</sup> मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.।

**2.6.2** राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V के अनुसार जो वस्तु अधिनियम की किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं है पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। 'ब्रान्डेड पोटेटो चिप्स' किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं थे इसलिये इस पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-IV, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (नवम्बर 2015) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में ब्रान्डेड पोटेटो चिप्स क्रमशः ₹ 1.59 करोड़ एवं ₹ 5.66 करोड़ की बिक्री सही दर 14 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से की। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप (जनवरी एवं नवम्बर 2014) देते समय 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 65.27 लाख एवं ब्याज ₹ 21.30 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2015) तथा सरकार को सूचित किया (दिसम्बर 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि ₹ 94.40 लाख (कर ₹ 65.27 लाख, ब्याज ₹ 29.13 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 10.21 लाख वसूल कर लिये गये हैं। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

## 2.7 कर मुक्ति शुल्क का कम आरोपण

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना (11 अगस्त 2006) जारी कर कार्य संविदा करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान स्थानान्तरित सम्पत्ति में प्रयुक्त माल पर आरोपणीय कर के भुगतान पर छूट इस शर्त पर दी कि कर निर्धारण प्राधिकारी करमुक्ति प्रमाण-पत्र (ईसी) जारी करेगा तथा ऐसे ठेकेदार नीचे दर्शायी दरों पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान करेंगे:

| क्र.सं. | कार्य संविदा का विवरण  | करमुक्ति शुल्क की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत) |
|---------|--|---|
| 1       | कार्य संविदा जहां सामग्री की लागत कुल संविदा मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक ना हो (9 मार्च 2010 से प्रभावी)             | 0.25  |
| 2       | भवन, सडक, पुल, बांध, नहर, सीवरेज सिस्टम से संबंधित कार्य संविदाएं  | 1.50  |
| 3       | पीएसपीओ सहित प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, माल सहित पाईप लाइन बिछाने से संबंधित कार्य संविदाएं | 2.25  |
| 4       | उपरोक्त मदों में सम्मिलित कार्य संविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की कार्य संविदा                                 | 3.00  |

एक कार्य संविदा आदेश, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य (कम्पोजिट कार्य संविदा) दिये गये हों, वह ऊपर दी गयी अधिसूचना के क्रम संख्या एक से तीन में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए कम्पोजिट कार्य संविदा पर तीन प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क आरोपणीय था।

इसके अलावा, अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आईटी), वाणिज्यिक कर विभाग ने राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 36<sup>11</sup> के अन्तर्गत निर्णय दिया कि 'सिविल निर्माण कार्य' अधिसूचना के क्रम संख्या चार में शामिल होता है, इसलिए तीन प्रतिशत की दर से ईसी जारी की जानी चाहिए।

**2.7.1** सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्स्ट्रक्ट एवं लीजिंग टैक्स, वृत्त अलवर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि दो व्यवहारियों ने दो ईसी, एक 'रॉ वाटर रिजरवायर के निर्माण' व दूसरा 'सिविल निर्माण कार्य' संविदा मूल्य ₹ 36.50 करोड़ के लिये आवेदन किया। कार्य आदेशों की संवीक्षा में पाया कि 'रॉ वाटर रिजरवायर का निर्माण' एवं 'सिविल निर्माण कार्य' अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इन पर अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या 4 के अनुसार तीन प्रतिशत की दर से ईसी जारी की जानी चाहिए थी। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन कार्यों के लिये सही दर 3 प्रतिशत की बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से ईसी जारी कर दी। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 54.75 लाख कम आरोपित हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में किये गये कार्य के लिये कर ₹ 22.77 लाख व ब्याज ₹ 15.52 लाख की मांग कायम कर दी गयी। शेष मांग करमुक्ति शुल्क ₹ 31.98 लाख की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

**2.7.2** सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जून 2015) में पाया गया कि एक व्यवहारी को कम्पोजिट कार्य के लिये चार कार्य संविदायें मूल्य ₹ 13.49 करोड़ की जारी की गईं। कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस व्यवहारी को इन कम्पोजिट कार्यों के मूल्य पर सही दर 3 प्रतिशत के स्थान पर दर 2.25 प्रतिशत से ईसी जारी कर दी। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क राशि ₹ 10.12 लाख कम आरोपित हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2015) तथा सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि कर ₹ 10.12 लाख व ब्याज ₹ 5.66 लाख की मांग कायम कर दी गयी एवं ₹ 1.01 लाख वसूल कर लिये गये हैं। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

## 2.8 आस्थगित कर की वसूली का अभाव

अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार 'उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/ केन्द्रीय बिक्री कर मुक्ति योजना 1998' के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को देय कर के भुगतान को योजना में वर्णित सीमा तक आस्थगित करने की अनुमति प्रदान की गयी। अधिसूचना के पैरा 7 के अनुसार एक तिमाही का आस्थगित कर उस तिमाही के सात वर्षों के पश्चात् 15 दिनों के अंदर बिना ब्याज के भुगतान योग्य था। इसके अतिरिक्त अधिसूचना के पैरा 8 के अनुसार किसी प्रकरण में आस्थगित कर का भुगतान समय पर नहीं

<sup>11</sup> यह धारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को विवादित प्रश्न पर निर्णय देने के लिये निर्धारित तरीके से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर आदेश पारित कर निर्णय देने की शक्ति प्रदान करती है।

होता है तो ऐसी चूक की तिथि को समस्त आस्थगित राशि ऐसे भुगतान के चूक के प्रथम दिवस से मय ब्याज के वसूलनीय होगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'ब', हनुमानगढ़ के अभिलेखों की मापक जांच (जुलाई 2015) में पाया गया कि एक व्यवहारी जो कि करमुक्ति योजना का लाभ ले रहा था ने अधिसूचना के अनुसार कर को आस्थगित करने का विकल्प चुना तथा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 के दौरान कर राशि ₹ 20.20 लाख को आस्थगित किया। अधिसूचना के अनुसार व्यवहारी जुलाई 2013 से तिमाही आधार पर उस आस्थगित कर को भुगतान के लिये दायी था। व्यवहारी ने निर्धारित अवधि में आस्थगित कर का भुगतान नहीं किया। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने आस्थगित कर मय ब्याज की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर ₹ 20.20 लाख तथा ब्याज ₹ 4.14 लाख (मार्च 2015 तक) की वसूली नहीं हुई।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2015) तथा सरकार को सूचित किया (अगस्त 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि व्यवहारी को अवधि 2006-07 से 2012-13 के लिये कर ₹ 20.20 लाख का आस्थगन गलत दिया गया जिसे कम करके ₹ 14.52 लाख कर दिया गया। व्यवहारी ने आस्थगित कर राशि ₹ 7.34 लाख को जमा करा दिया (अगस्त 2016)। फिर भी, विभाग ने उत्तर नहीं दिया कि क्या अस्वीकृत आस्थगित राशि ₹ 5.68 लाख की वसूली हो गयी थी। इसके अलावा शेष आस्थगित कर राशि ₹ 7.18 लाख व इस पर देय ब्याज की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

## 2.9 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत अधिक सब्सिडी प्रदान करना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (योजना) के पैरा 7(i)(बी) सपठित परन्तुक के अनुसार आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण के प्रकरण में सब्सिडी की अधिकतम सीमा गत तीन वर्षों में अधिकतम देय कर या जमा कर जो भी अधिक हो, से अधिक देय अथवा जमा कराये गये अतिरिक्त कर राशि<sup>12</sup> के अधिकतम 75 प्रतिशत तक थी। इसके अलावा स्कीम के पैरा 10 के अनुसार किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में सब्सिडी देने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित सब्सिडी राशि वसूलनीय थी।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया (10 अक्टूबर 2008) कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत प्रोत्साहन योजना, 1987, 1989 एवं 1998 के अन्तर्गत इकाईयों को कर के भुगतान से छूट देय थी लेकिन इकाईयों द्वारा उत्पादित माल को छूट देय नहीं थी। इसके अनुसार इन इकाईयों के कर योग्य टर्नओवर पर आरोपणीय कर राशि ही इनके लिये देय कर था। यह भी स्पष्ट किया गया था (10 अक्टूबर 2008) कि कर के आस्थगन का लाभ ले रही इकाई के मामलों में, यदि वह इकाई भुगतान योग्य कर में से किसी भाग को जमा करा देती है तब सब्सिडी की राशि आनुपातिक रूप से ही दी जायेगी।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त भीलवाड़ा के कर निर्धारण अभिलेखों, की मापक जांच (जून 2015) में पाया कि एक व्यवहारी को योजना की श्रेणी 'विस्तार मय आधुनिकीकरण और

<sup>12</sup> राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर या वैट।

विविधिकरण' के अन्तर्गत 9 मार्च 2007 से ब्याज सब्सिडी के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया (जनवरी 2010)। अवधि 2003-04 से 2005-06 में (तुरन्त पिछले तीन वर्ष), व्यवहारी ने प्रोत्साहन योजना (1987, 1989 व 1998) और अधिसूचना दिनांक 6 मई 1986<sup>13</sup> के अन्तर्गत आंशिक छूट/आस्थगन का लाभ लिया। इस अवधि में व्यवहारी ने भुगतान योग्य कर में से आंशिक छूट/आस्थगित राशि को घटाकर कर जमा कराया।

इस व्यवहारी ने अवधि 2010-11 से 2013-14 के लिए ब्याज सब्सिडी ₹ 12.87 करोड़ का दावा किया जो वर्ष 2011-12 से 2013-14 में स्वीकृत हुई। सब्सिडी अभिलेख की संवीक्षा में पाया गया कि:

- सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण (10 अक्टूबर 2008) के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी ने तीन पूर्ववर्ती वर्षों तथा 2003-04 से 2005-06 हेतु देय कर की गणना करते समय व्यवहारी द्वारा प्राप्त आंशिक छूट की राशि को टर्नओवर पर आरोपणीय कर में से घटा दिया। इस तरह कर निर्धारण प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों में अधिकतम देय कर ₹ 8.09 करोड़ के बजाय राशि ₹ 6.81 करोड़ की गलत गणना की।
- इसके अलावा व्यवहारी ने वर्ष 2010-11 व 2011-12 में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आस्थगन तथा कर में छूट राशि ₹ 41.60 लाख<sup>14</sup> का लाभ प्राप्त किया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने सब्सिडी देते समय व्यवहारी द्वारा प्राप्त कर आस्थगन/ छूट को अनियमित रूप से जमा कर के रूप में मान लिया।

इसलिए कर निर्धारण प्राधिकारी ने देय सब्सिडी ₹ 9.92 करोड़<sup>15</sup> के बजाय सब्सिडी ₹ 12.87 करोड़ प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य ब्याज ₹ 1.33 करोड़ (मार्च 2015 तक गणनानुसार) के अतिरिक्त सब्सिडी ₹ 2.95 करोड़ अधिक स्वीकृत कर दी।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2016) और सरकार को सूचित किया (मार्च 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि मांग ₹ 4.89 करोड़ (कर ₹ 2.95 करोड़; ब्याज ₹ 1.94 करोड़) कायम कर दी गयी और ₹ 29.48 लाख वसूल कर लिये गये। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

## 2.10 वैट के अन्तर्गत कर में अनियमित छूट

राजस्थान वैट नियम 2006 के नियम 21(1) के अनुसार जो व्यवहारी राज्य में किसी अन्य व्यवहारी को माल के विक्रय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है तो वह वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आयुक्त, वाणिज्यिक कर यदि संतुष्ट हो जाये तो ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर ऐसे घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा सकता है जो

<sup>13</sup> राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 6 मई 1986 द्वारा व्यवहारियों को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के विक्रय में वृद्धि पर देय कर में दी गयी शर्तों के अधीन 50/75 प्रतिशत की दर से कटौती के रूप में कर में आंशिक छूट का दावा करने की अनुमति प्रदान की।

<sup>14</sup> अवधि 1.1.2011 से 31.3.2011 में ₹ 9.99 लाख की कर में छूट तथा अवधि 1.1.2011 से 30.6.2011 में ₹ 31.61 लाख के कर का आस्थगन।

<sup>15</sup> लेखापरीक्षा द्वारा रिप्स के प्रावधानों के अनुसार की गयी वास्तविक गणना के आधार पर देय सब्सिडी की गणना की गयी।

एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह भी प्रावधान किया गया कि 30 सितम्बर 2014 तक सम्पूरित किये गये कर निर्धारणों के लिये व्यवहारी घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र 30 जून 2015 तक प्रस्तुत कर सकते थे।

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (अक्टूबर 2015) में पाया कि पांच व्यवहारियों ने वर्ष 2012-13 में की गयी माल की बिक्री के कर में आंशिक/पूरी छूट के लिये निर्धारित घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये। कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप (नवम्बर 2014 से मार्च 2015) देते समय घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मांग आरोपित कर दी। इसके बाद इन व्यवहारियों ने निर्धारित घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015)। चूंकि इन व्यवहारियों के कर निर्धारण 30 सितम्बर 2014 के बाद किये गये थे, ये घोषणा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं थे। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने नियमों के विरुद्ध इन घोषणा-प्रपत्रों को स्वीकार कर (जनवरी से मार्च 2015) संशोधन आदेशों के द्वारा वर्ष 2014-15 में राशि ₹ 25.34 लाख की मांग में कमी कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.34 लाख की मांग में अनियमित रूप से कमी की गयी।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि कर ₹ 20.37 लाख व ब्याज ₹ 7.68 लाख की मांग आरोपित कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

### 2.11 शून्य आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर का अनारोपण

राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19(5) के अनुसार व्यवहारी खरीद का विवरण प्रपत्र वैट-07ए व बिक्री का विवरण प्रपत्र वैट-08ए के साथ तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 61(1) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी प्रस्तुत विवरणी से कोई विवरण छुपाता है अथवा जानबूझकर इसमें गलत विवरण प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यवहारी इस अधिनियम के तहत देय कर के अतिरिक्त कर चोरी की राशि की दुगुनी के बराबर शास्ति का भुगतान करेगा।

सहायक आयुक्त, वृत्त-अ, जयपुर की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि दो व्यवहारियों ने वर्ष 2012-13 के लिये शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की। विभागीय वेबसाइट राजविस्टा पर उपलब्ध मॉड्यूल के द्वारा तैयार की गयी सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि इन व्यवहारियों ने राशि ₹ 2.60 करोड़ का माल छः पंजीकृत व्यवहारियों को बेचकर ₹ 12.99 लाख का कर एकत्रित किया। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (सितम्बर 2014 व मार्च 2015) राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग किये बिना शून्य टर्नओवर का कर निर्धारण पारित किया और इन व्यवहारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की मांग कायम नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 12.99 लाख के अतिरिक्त शास्ति ₹ 25.98 लाख तथा ब्याज ₹ 3.90 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि व्यवहारियों को नोटिस जारी कर दिये गये। अग्रिम प्रगति की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

### 2.12 विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 21 सपठित राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19(2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी शासकीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट समय पर तथा देरी से प्रस्तुत करने पर मय विलम्ब शुल्क के जैसा कि निर्धारित किया गया है, विवरणी प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर विवरणी को प्रस्तुत किया हुआ नहीं माना जायेगा। इसके अलावा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 24(4) यह उपबन्ध करती है कि यदि व्यवहारी धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक से व्यवहारी का कर निर्धारण करेगा तथा विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिए शुद्ध देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर लेकिन न्यूनतम पांच हजार रुपये शास्ति आरोपित करेगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-I, जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (सितम्बर 2015) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 के लिये विवरणी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत नहीं की। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर व्यवहारी ने विवरणी विभागीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत करने के बजाय विवरणी की हार्ड प्रति प्रस्तुत की और टर्नओवर ₹ 31.75 करोड़ तथा देय कर ₹ 1.32 करोड़ घोषित किया। इसलिए विवरणी के प्रस्तुत नहीं करने पर शुद्ध देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर शास्ति आरोपित की जानी थी। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2015) विवरणी नहीं भरने की शास्ति ₹ 26.49 लाख की बजाय विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विलम्ब शुल्क ₹ 3.09 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.49 लाख की शास्ति का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2015) और सरकार को सूचित किया (अक्टूबर 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि राशि ₹ 26.49 लाख की मांग आरोपित कर दी गयी और ₹ 0.14 लाख की वसूली कर ली गयी। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

### 2.13 इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लेने पर शास्ति का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 (1) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कर योग्य माल की खरीद पर देय है। इसके अलावा, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 61(2)(बी) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेगा और ऐसे व्यवहारी पर इस गलत क्रेडिट राशि के दुगुने के बराबर शास्ति आरोपित करेगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान, जयपुर की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 में ₹ 12.00 लाख का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया।

कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (दिसम्बर 2013) इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत क्रेडिट राशि के दुगुने के बराबर शास्ति आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.01 लाख की शास्ति का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि शास्ति ₹ 24.01 लाख की मांग आरोपित की गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

## 2.14 घोषणा-प्रपत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति आरोपण का अभाव

‘केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956’ की धारा 10ए सपठित धारा 10(डी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रय किये गये माल का धारा 8(3) (बी)<sup>16</sup> में वर्णित उद्देश्यों के लिये उपयोग करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी जो उसे इस अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करता है, अधिनियम की धारा 8(2) के तहत इस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की डेढ़ गुणा राशि से अनाधिक शास्ति आरोपित कर सकता है।

**2.14.1** सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान, जयपुर तथा वृत्त-अ, जयपुर की मापक जांच (जनवरी 2016) में पाया कि दो व्यवहारियों ने वर्ष 2012-13 में ‘सी’ प्रपत्र के समर्थन में मूल्य ₹ 79.90 लाख व ₹ 95.17 लाख के मशीनरी, टूल्स, वेब्रिज, फर्नीचर, रसोई का सामान व सीसीटीवी कैमरा इत्यादि अन्य राज्य से क्रय किये। इनके अभिलेख से यह इंगित नहीं हुआ कि व्यवहारियों द्वारा यह माल धारा 8(3)(बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाया गया। इसलिये व्यवहारी इस माल पर 5 प्रतिशत या 14 प्रतिशत जो भी लागू हो की दर से आरोपणीय कर का डेढ़ गुणा शास्ति ₹ 35.29 लाख के लिये दायी थे। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवम्बर व दिसम्बर 2014) शास्ति आरोपित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 35.29 लाख आरोपित नहीं हुई।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2016) तथा सरकार को सूचित किया (फरवरी 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि शास्ति ₹ 35.29 लाख की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 8.03 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

**2.14.2** तीन वृत्तों<sup>17</sup> के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (नवम्बर 2015 से मार्च 2016) में पाया गया कि तीन व्यवहारियों<sup>18</sup> ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः राशि ₹ 2.27 करोड़ व ₹ 24.81 करोड़ का माल घोषणा प्रपत्र ‘एफ’ पर कन्साइनमेन्ट एजेन्ट को राज्य के बाहर प्रेषित किया। विभागीय वेबसाइट *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा यह माल घोषणा प्रपत्र ‘सी’ पर राज्य के बाहर से क्रय किया गया था। चूंकि व्यवहारियों द्वारा स्वरीदा गया यह माल धारा 8(3)(बी) में वर्णित उद्देश्यों के

<sup>16</sup> उसके द्वारा पुनः बिक्री करने या बिक्री के लिये माल के निर्माण या प्रोसेसिंग में उपयोग में लेने या दूरसंचार नेटवर्क में या स्वनन में या बिजली या शक्ति के अन्य रूप में पैदा करने या वितरण के लिये।

<sup>17</sup> वृत्त: विशेष वृत्त-IV, जयपुर, विशेष वृत्त-I, उदयपुर एवं अ-अलवर।

<sup>18</sup> मै. एविस लाईफकेयर प्रा.लि., मै. श्री पदमावती कॉर्पोरेशन एवं मै. खन्ना ट्रेडर्स।

लिये उपयोग में नहीं लिया गया इसलिये इन व्यवहारियों पर माल के स्वरीद मूल्य ₹ 18.63 करोड़ पर देय कर की डेढ़ गुनी शास्ति ₹ 3.47 करोड़ आरोपित की जानी थी। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 2014 से मार्च 2015) शास्ति आरोपित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप शास्ति ₹ 3.47 करोड़ आरोपित नहीं हुई।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च तथा अप्रैल 2016) तथा सरकार को सूचित किया गया (मार्च तथा अप्रैल 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि ₹ 3.47 करोड़ की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 2.00 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

### 2.15 राज्य के बाहर माल के स्थानान्तरण पर कर में अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 अ (1) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी किसी माल पर कर देयता नहीं होने का दावा इस आधार पर करता है कि ऐसे माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण बिक्री के कारण नहीं हुआ है तो वह कर निर्धारण प्राधिकारी को माल के प्रेषित करने के साक्ष्य के साथ निर्धारित विवरण को दर्शाते हुये एक घोषणा-प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है और यदि व्यवहारी ऐसा घोषणा-प्रपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसे माल का स्थानान्तरण इस अधिनियम में सभी उद्देश्यों के लिये बिक्री माना जायेगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-III जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (फरवरी 2016) कि एक व्यवहारी जो बियरिंग तथा इसके कम्पोनेन्ट्स का निर्माता व विक्रेता था ने वर्ष 2012-13 में राज्य के बाहर से जोब वर्क के लिए राशि ₹ 9.28 करोड़ का माल प्राप्त करना और जोब वर्क से प्राप्तियां (आय) राशि ₹ 94.40 लाख दर्शायी। अभिलेखों में उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में देखा गया कि इस व्यवहारी ने जोब वर्क के बाद इस माल को राजस्थान राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया लेकिन इन संव्यवहारों के समर्थन में राशि ₹ 10.22 करोड़ के घोषणा प्रपत्र-‘एफ’ प्रस्तुत नहीं किये। इसलिये, ये संव्यवहार अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिये बिक्री माने जाने चाहिये। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन संव्यवहारों पर कर आरोपित किये बिना व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप दे दिया (फरवरी 2015)। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 51.10 लाख एवं ब्याज ₹ 15.33 लाख (मार्च 2015 तक गणनानुसार) की अनियमित छूट दी गयी।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रैल 2016) तथा सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2016)। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि कर ₹ 51.10 लाख तथा ब्याज ₹ 24.27 लाख की मांग कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।

### 2.16 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कर में अनियमित आंशिक छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पंजीकृत व्यवहारी को माल बेचता है, तो वह अधिनियम की धारा 8(3) एवं (4) की विशिष्ट शर्तों के पूर्ण करने पर ऐसे टर्नओवर पर इस अधिनियम के तहत दो प्रतिशत की दर से कर चुकाने के लिये दायी होगा।

राज्य सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2008 जारी कर निर्देशित किया कि पंजीकृत व्यवहारी जो अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए प्लांट एवं मशीनरी 14 फरवरी 2008 या इसके बाद क्रय करता है एवं इस अवधि में वह लघु एवं छोटे उद्यम के दर्जे का लाभार्थी है तो अपने व्यवसाय स्थल से उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में विक्रय करने पर सीएसटी अधिनियम के तहत देय कर 0.25 प्रतिशत की दर से संगणित किया जायेगा।

सहायक आयुक्त, वृत्त 'ई' जयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (अक्टूबर 2015) में पाया गया कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत क्रमशः मूल्य ₹ 5.35 करोड़ एवं ₹ 8.45 करोड़ के माल का विक्रय 0.25 प्रतिशत की दर से किया। कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया व्यवहारी 17 अक्टूबर 2005 से राजस्थान वैट अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत था। इसके अलावा इस व्यवहारी ने 14 फरवरी 2008 से पूर्व प्लांट एवं मशीनरी की खरीद की थी। इसलिये यह व्यवहारी इस वर्णित अधिसूचना में दिये गये लाभ को प्राप्त करने के योग्य नहीं था। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी इस व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2013 एवं अक्टूबर 2013) इस अनियमितता का पता नहीं लगा सका और सही कर दर दो प्रतिशत के बजाय रियायती दर 0.25 प्रतिशत से कर निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कर ₹ 24.16 लाख एवं ब्याज ₹ 11.27 लाख का कम आरोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2015) तथा सरकार को सूचित किया (नवम्बर 2015)। सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि ₹ 86.63 लाख (कर ₹ 24.15 लाख; ब्याज ₹ 14.17 लाख व पेनल्टी ₹ 48.31 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 24.15 लाख वसूल कर लिये गये। शेष राशि की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2016)।